## :: प्रेस नोट ::

शासन के निर्देशानुसार आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल म.प्र. में इस आशय की प्राथमिक जॉच पंजीबद्ध की गई, कि मण्डला व बालाघाट जिले में फरवरी 2020 से म.प्र.शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी संबंधित प्राथमिक /विपणन सहकारी समितियो कें माध्यम से पंजीकृत किसानों से की गई। प्राप्त धान को कस्टम मिलिंग हेतु जिलें में पंजीकृत राइस मिलों को प्रदाय किया गया। संबंधित मिलरो द्वारा उक्त धान को मिलिंग पश्चात म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के माध्यम से पंजीकृत गोदामों में जमा किया गया। उक्त जमा गोदामों का निरीक्षण केन्द्रीय समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान केन्द्रीय समिति द्वारा चावल के सेम्पल लेकर उनकी जांच कराई गई । जिसकी जांच पर यह पाया गया कि जमा किये गये चावल के सेम्पल जो मिलों द्वारा जमा कराये गये थे वह अपमिश्रित है तथा चावल को रखने वाले वारदाने 2 से 3 वर्ष पुराने है। प्राप्त रिर्पोट के आधार पर अग्रिम जांच में यह तथ्य भी सामने आये है कि कुल मिलर्श द्वारा अपनी क्षमता से अधिक धान प्राप्त की गई है एवं अपने नाम पर धान लेकर अन्य मील से कस्टम मिलिंग कराई गई है। कस्टम मिलिंग के दौरान मिलर्स द्वारा अन्य प्रदेशों से भी धान एवं चावल प्राप्त कर मिलिंग की गई है जो संदिग्ध है, कस्टम मिलिंग का धान जमा करते समय गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा बिना समयक गुणवत्ता जांच किये चावल को गोदामों में जमा कराया गया तथा जमा किये गये चावल की जांच नियमानुसार जिला प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा भी नही की गई है।

अतः संपूर्ण प्रारंभिक जांच पर मण्डला एवं बालाघाट जिलें के म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के अधिकारियों एंव मिलिंग से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक षड़यंत्र रचकर शासन को जमा किये जाने वाले चावल के स्थान पर अपमिश्रित एवं निम्न मानक गुणवत्ता का चावल जमा करने में आरोप प्रमाणित पाया जाने से आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में संबंधित आरोपियों के विरूद्ध दिनांक 28.11.2020 को अपराध कमांक 39/20 एवं 40/20 धारा 420, 272, 120बी भादवि, एवं धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।